

District Registry Office, Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 4543

RTPS No.:-
030119351002304189

शुंकि श्री SYED AHMED SAYEED QAUDRI ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एवद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2009 से ता० 24/11/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड न०	खाला खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य संख्या	जिल्द संख्या	पूरे तक वर्ष
1	GAYA SADAR	CHANDAUTI	SIPAHILLEN W.NO-32	3 4820 24	DECIMAL	0		

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया -
नाम - MAZHAR ALAM
L.D.C

नाम - NIRU KUMARI
L.D.C

(Handwritten Signature)



तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

कार्यालय - District Registry
Office, Gaya

तारीख -

05/12/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजिक्सेन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर लेनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु बूटिके वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और बूटिके वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 6563

दिनांक:-

05/12/2023

शाखा प्रबंधक UCO BANK BRA WHITE H C GAYA के पत्र दिनांक 02/12/2023 के आलाोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

District Registry Office, Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 4542

RTPS No.:-
030119351002304128

चूंकि श्री SYED AHMED SAYEED QAUDRI ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2009 से ता० 24/11/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पूरे तक वर्ष
1	GAYA S.ADAR	CHANDAUTI	SIPAH LANE W.NO-32	3	4820	13	DHUR	0

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया -

नाम - MAZHAR ALAM

UdC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की -

नाम - NIRU KUMARI

L.D.C

District Registry

Office, Gaya

तारीख -

05/12/2023

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर



टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार गये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-67 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिनिधि सेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा हूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 6564

दिनांक:-

05/12/2023

शाखा प्रबंधक UCO BANK BRA WHITE H C GAYA के पत्र दिनांक 02/12/2023 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर